टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

दिनांक 16..02.2026

कार्यालय आदेश सं.24/2026

अनुज्ञानन प्राधिकारी और उपाध्यक्ष के निदेश सं. 01/2025 दिनांक 10.02.2026 के संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड के काम की ज़रूरतों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर, बोर्ड के अलग-अलग कार्यालयों से संबद्ध नीचे दिए गए अधिकारियों को अपने स्वयं के अधिकृत कर्तव्यों के अलावा, दिए गए मा सं प्र के बिंदु सं. 5 में बताई गई ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं, सिवाय क्र.सं. 4 के।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	क्षेत्राधिकार/क्षेत्र
1.	श्री एस. अरुणकुमार, फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी।	पीरमेड, केरल	कोचीन पोर्ट क्षेत्र, जिसमें पीरमाडे का अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र है।
2.	श्री फुरी शेरपा, सहायक निदेशक चाय विकास।	डीटीआर एवं डीसी, कर्सियांग	दार्जिलिंग क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र सहित पानीटंकी एलसीएस।
3.	श्री अमर गोगोई, विकास अधिकारी।	अनुज्ञापन शाखा, मुख्यालय	कोलकाता पोर्ट क्षेत्र
4.	श्री ए. कार्तिकेयन, विकास अधिकारी	पालमपुर (वर्तमान शिविर, सिलीगुड़ी)	तूतीकोरिन पोर्ट क्षेत्र

उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 01.05.2026 से पहले अनुज्ञापन नियंत्रक, प्रभारी, टी बोर्ड, कोलकाता के समक्ष कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें क्योंकि मा सं प्र, 1 मई, 2026 से लागू होगा। श्री ए. कार्तिकेयन, विकास अधिकारी पीएमसीएसपीवाई से जुड़े काम पूरे होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे।

ऊपर बताए गए अधिकारी नियमों के अनुसार स्वीकार्य यात्रा भत्ता के लिए पात्र हैं और सौंपे गए काम को करने के लिए किसी भी अतिरिक्त पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं।

यह उपाध्यक्ष की मंज़ूरी से जारी किया गया है और तत्काल लागू हो गया है। संलग्न

संलग्न: यथोक्त

प्र. बरो

(पी सी बोरो)

सहायक सचिव

वितरण:

1.	उपरोक्त सभी अधिकारी। .	
2.	अनुज्ञापन नियंत्रक, प्रभारी,	
3.	कार्यकारी निदेशक, कून्नूर	
4.	नि चा वि	
5.	वि स एवं मु ले अ	
6.	उ नि चा वि सिलीगुड़ी	
7.	फ स अ, पालमपुर	
8.	उपाध्यक्ष/सचिव के निजी सहायक	
9.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
10.	स्थापना शाख	अतिरिक्त प्रतियां सहित।

फाइल सं. 2(1)स्था/2024/भाग- I

भारत में चाय के आयात के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए

भारत में चाय आयात करने के लिए, टी बोर्ड से जिसके पास चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 (टीडीईसीओ) के तहत वैध अनुज्ञापन नंबर सहित आयातक अनुज्ञापन प्राप्त है, उसे नीचे दी गई दिशा-निदेश को मानना होगा।

1. टी परिषद पोर्टल (**https://teacouncil.teaauction.gov.in**) पर आयात की जानकारी प्रस्तुत करना, जैसे शिपमेंट के आगमन की संभावित तिथि, ऐसी आयातित चाय, आदि को भंडारण का विवरण साथ ही, कंटेनर की संख्या और प्रोफार्मा चालान में चाय की कीमत, माल ढुलाई और बीमा का बंटवारा भी होना चाहिए।

2. आयातक को अनंतिम आयात निर्गम प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय टी परिषद पोर्टल के माध्यम से प्रति नमूना के लिए आवेदन शुल्क रु. 11,120/- और जीएसटी देनी होगी।

3. आवेद करते समय आयातक को उस पैकेट की तस्वीर अपलोड करनी होगी जिससे आयातित चाय को फिर से निर्यात किया जाएगा।

4. आयातक को टी बोर्ड द्वारा टी परिषद पोर्टल के माध्यम से अनंतिम आयात मंजूरी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
5. आयात कंसाइनमेंट के पहुंचने पर, टी बोर्ड का अधिकारी, संबंधित पोर्ट क्षेत्र में, 24 घंटे के अंदर, पांच कंटेनर के बैच में से किसी भी कंटेनर से नमूना के दो सेट निकालेगा। नमूना निकालने के लिए कंटेनर को टी बोर्ड का अधिकारी यादृच्छिक तरीके से चुनेगा।

6. नमूना नीचे दिए गए तरीके से लिए जाएंगे:

क) नमूने का आकार- प्रति संग्रह का वज़न 500 ग्राम।

ख) लिए गए नमूने सही आकार के साफ़, सूखे और बिना गंध वाले एल्यूमीनियम पन्नी (खाद्य श्रेणी) में इकट्ठा किए जाएंगे और उन्हें भूरे रंग के टेप आदि जैसे छेड़छाड़ रोधी सामग्री से ठीक से सील किया जाना चाहिए या हीट सील किया जाना चाहिए।

ग) सीलबंद एल्युमिनियम फॉयल पर साफ़ तौर पर एक खास सैं नमूना कोड और चाय का प्रकार लिखा होना चाहिए और उस पर संग्रह अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विश्लेषण के दौरान गुमनामी बनाए रखने के लिए नमूना पैकेट पर चाय के मालिक की कोई पहचान की जानकारी न लिखी हो।

घ) जिस बैग से नमूना लिया गया है, उसे फिर भूरे रंग के चिपकने वाले टेप या किसी दूसरे छेड़छाड़ रोधी सामग्री से ठीक से सील कर दिया जाएगा ताकि कोई छेड़छाड़ न हो सके। इस पर संग्रह अधिकारी द्वारा उचित रूप से लेबल और हस्ताक्षरित भी होना चाहिए।

ङ) अगर कस्टम्स/एफएसएसएआई ने पहले ही उसी कंसाइनमेंट से नमूने ले लिया है, तो उस कंसाइनमेंट से कोई नमूना नहीं लिया जाएगा। ऐसे मामलों में नमूना दूसरे कंसाइनमेंट से लिए जा सकते हैं।

7. एफएसएसएआई पैरामीटर्स की परीक्षण के लिए एकीकृत मूल्यांकन योजना के तहत एक नमूना उसी दिन टी बोर्ड की सबसे पास की एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ में भेजा जाएगा। आरक्षित नमूना टी बोर्ड की निगरानी में रहेगा।

8. प्रयोगशाला का चुनाव प्रणाली से होगा। प्रणाली से नमूना मिलने के बाद प्रयोगशाला को तुरंत इसकी जानकारी देनी होगी।

9. नमूना लेने के बाद, आयातक चाय को सिर्फ़ अपने तय भांडागार में ही स्थानांतरण कर सकता है।

10. आयातक को उस कंटेनर से चाय को, जिससे नमूना लिए गए थे, भांडागार में अलग से रखना होगा। टी बोर्ड से अंतिम निर्गम प्रमाणपत्र जारी होने तक किसी भी आयात की गई चाय का उपयोग पुन: निर्यात या घरेलू बिक्री के लिए नहीं किया जाएगा।

11. संबंधित प्रयोगशाला को नमूना मिलने की तिथि से 14 दिनों के अंदर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।

12. प्रयोगशाला प्रणाली में पैरामीटर के हिसाब से परीक्षण परिणाम अपलोड करेगी, और प्रणाली में प्रयोगशाला द्वारा पास या फेल बताने का भी प्रावधान होगा।

13. जो नमूना पास हो गए हैं, उन्हें टी बोर्ड टी परिषद पोर्टल के माध्यम से अंतिम निर्गम प्रमाणपत्र जारी करेगा। फ़ेल हुए नमूने को किसी भी हालत में अंतिम निर्गम प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। नमूना फ़ेल होने पर आयातक को एक चेतावनी संदेश भेजा जाएगा।

14. अगर आयातक संरक्षण लेना चाहता है, तो नमूना परीक्षण किया जाएगा:-

    क) आयातक को नमूना फेल होने का चेतावनी संदेश मिलने के 48 घंटे के अंदर, नमूने का विश्लेषण के लिए किसी दूसरी एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजने के लिए प्रणाली में एक अनुरोध प्रस्तुत करनी होगी।

    ख) पोर्टल संरक्षण नमूना के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला का चयन करेगा।

    ग) संरक्षण नमूना का परीक्षण के लिए चेतावनी संदेश मिलने पर निरीक्षण अधिकारी अगले 24 घंटों के अंदर, चाय के एफएसएसएआई पैरामीटर्स की परीक्षण के लिए एकीकृत मूल्यांकन योजना के तहत टी बोर्ड के किसी दूसरी सबसे नजदीक की एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में अपनी निगरानी में संरक्षित नमूना भेजेंगे, ताकि यह जांच किया जा सके कि एफएसएसएआई की सभी लागू अपेक्षाएं का पालन हो रहा है।

    घ) संरक्षित नमूना का परीक्षण के लिए आयातक को प्रत्सेक नमूने के लिए रू 15000-: एवं जएसटी का भुगतान करना होगा।

    ङ) संबंधित प्रयोगशाला को नमूना मिलने की तिथि से 14 दिनों के अंदर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।

15. अगर संरक्षित नमूने का परीक्षण के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाता है या संरक्षित नमूना भी फेल हो जाता है, तो टी (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश, 1959 के नियमों के अनुसार फेल हुई चाय को टी अपशिष्ट के तौर पर निपटान करने के लिए कार्रवाई शुरू किया जाएगा।

16. देश में चाय का आयात और निर्यात दोनों ही छह महीने के अंदर करना होगा।

17. आयातित चाय के निर्यात में 50% मूल्य संवर्धन होगा। इस उद्देश्य के लिए मूल्य संवर्धन V होगा। ए=100X (ए-बी)

    जहां वीए का मतलब मूल्य संवर्धन है, ए का मतलब निर्यात की गई चाय का यूनिट एफओबी कीमत है और बी का मतलब आयात की गई चाय का यूनिट सीआईएफ कीमत प्राइस है।

18. सभी निर्यात कंसाइनमेंट जिनमें भारतीय चाय और आयातित चाय मिली हो, उन्हें अंतिम पैकिंग सामग्री पर और साथ में दिए गए सभी दस्तावेज़ पर यह बात साफ़-साफ़ बतानी होगी, जिसमें साइटोसनीटरी प्रमाणपत्र, स्वस्थता प्रमाणपत्र, मूल प्रमाण पत्र, और कोई भी अन्य आवश्यक दस्तावेज़ शामिल हैं। ऐसे दस्तावेज़ का टी बोर्ड भारत निरीक्षण करेगा।